सचिका सख्या–7/बजट–46–20/2023 – 273 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,पटना।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 03/08/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एवं फर्निचर की आपूर्त्ति हेतु, BMSICL, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड़ उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रू० 28,00,041/– (रूपये अठ्ठाइस लाख इकतालीस) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 मे नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एव फर्निचर की आपूर्त्ति हेतु, BMSICL, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्राक–165(7),दिनाक–07.08.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0/आवटनादेश स0 एव दिनाक
1	2024–25	50,00,000/–	स0–53(7), दिनाक–28.05.2024
2	2024–25	1,00,00,000/–	स0–332(7), दिनांक–03.01.2025
कुल योग–		**1,50,00,000/–**	

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एवं फर्निचर की आपूर्त्ति हेतु, BMSICL, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रू० 28,00,041/– (रूपये अठ्ठाइस लाख इकतालीस) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश सं0–165(7), दिनांक–07.08.2023 में निहित बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

5– उक्त कार्य मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनो का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अतर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

6– इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे ।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए एक पखवारे के अन्दर व्यय किया जाना सुनिश्चित करेगे तथा किसी भी स्थिति मे कोषागार से राशि की निकासी कर किसी खाता में Park नहीं करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

9– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17 04 98, 2380/वि0(2), दिनांक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 3758/वि0, दिनाक–31.05 2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या–7/बजट–46–20/2023 के पृष्ठ– 29. /टि0 मे प्राप्त है ।

13– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

14– सबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.8.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापाक–7/बजट–46–20/2023– 873 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 03/08/2026

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव, प्रशाखा–7A, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.8.26

सरकार के अपर सचिव ।